

13
131

प्रमुख सचिव

राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

नियम- 131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

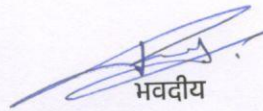
विषय- प्रदेश की कारगारों में क्षमता अनुसार कैदी रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्थान में अपराध में वृद्धि के परिणामस्वरूप कैदियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है लेकिन कारगारों की व्यवस्था यथावत है। न तो कारगारों का नवीनीकरण हो रहा है और न ही वर्तमान में निर्मित कारगारों में कैदियों की क्षमता अनुसार उनको रखने की व्यवस्था में कोई नवाचार किया जा रहा है।

हाल ही में बाड़मेर जिला कारागृह में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने व अधिकारियों की उनके प्रति लापरवाही के फलस्वरूप एक कैदी की इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। प्रदेश की कारगारों में बंदी क्षमता - 9382 है जिसमें बंदियों की संख्या -13363 है जिसमें बाड़मेर जेल में कैदी क्षमता 159 के बावजूद 228 कैदियों को रखा जा रहा है अर्थात् जेल क्षमता से अधिक कारगारों में बंदियों को रखा जा रहा है।

अतः मैं इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय कारगार विभाग के मंत्री महोदय आग्रह है कि मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए कारगारों में कैदियों हेतु उचित व्यवस्था करवाने की कृपा करें।


भवदीय

(रविन्द्र सिंह भाटी)

दिनांक-

विभाजन संख्या- 126